भारत सरकार
और
रोमानिया सरकार
के बीच
हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार और रोमानिया सरकार, जिन्हें आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है;

दिनांक 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय के पक्षकार होते हुए;

नागर विमानन के क्षेत्र में अपने पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा अपने-अपने राज्यों के राज्यक्षेत्रों के बीच और उनके बाहर हवाई सेवाएँ स्थापित करने के उद्देश्य से एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "वैमानिकी अधिकरण" से अभिप्रेत है, भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक और रोमानिया के मामले में परिवहन मंत्रालय—नागर विमानन विभाग, अथवा दोनों मामलों में ऐसा कोई व्यक्ति या निकाय जो उक्त प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को करने के लिए अधिकृत हो।

(ख) "नामित एयरलाइन" से अभिप्रेत है वह एयरलाइन जिसे किसी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी अधिकरण ने इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के विमानन प्राधिकरण को लिखित रूप में नामित किया हो।

(ग) "अभिसमय" से अभिप्रेत है 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय तथा उसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन अपनाया गया कोई भी अनुलग्नक और उसके अनुच्छेद 90 तथा 94 के अधीन अभिसमय या उसके अनुलग्नकों में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है, जहाँ तक ऐसे अनुलग्नक और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा अपनाए गए हों।

(घ) "क्षेत्र", "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में क्रमशः दिए गए हैं।

अनुच्छेद 2
यातायात अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि इसके संलग्न मार्ग-सारणी में विनिर्दिष्ट मार्गों पर नियमित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएँ स्थापित की जा सकें। ऐसी सेवाओं और मार्गों को आगे क्रमशः "सहमत सेवाएँ" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।
2. इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे राज्य के क्षेत्र के ऊपर बिना ठहरे उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे राज्य के क्षेत्र में ठहराव करने का अधिकार; और

(ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा प्रचालित करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को इस समझौते की संलग्न मार्ग-सारणी में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट प्वाइंटों पर दूसरे राज्य के क्षेत्र में यात्रियों, माल या डाक के अंतरराष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा (2) में कोई बात किसी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन को दूसरे राज्य के क्षेत्र में ऐसे यात्रियों, माल या डाक को लेने का अधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिनकी गंतव्य उसी दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य बिंदु पर हो।
4. किसी राज्य के वे कानून और विनियम जो उसके क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय वायु-परिवहन में लगे विमानों के प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान तथा उसके राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे विमानों के संचालन और नौवहन को नियंत्रित करते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमानों पर लागू होंगे।
5. किसी राज्य के वे कानून और विनियम जो उसके राज्यक्षेत्र में यात्रियों, चालक-दल, माल और डाक के प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान को नियंत्रित करते हैं—जैसे पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य और संगरोध संबंधी कानून—दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान द्वारा ले जाए जा रहे यात्रियों, चालक-दल, माल और डाक पर उस अवधि में लागू होंगे जब वे उक्त क्षेत्र में हों।

अनुच्छेद 3
एयरलाइनों का नामांकन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएँ प्रचालित करने के लिए एयरलाइन नामित करने का अधिकार होगा। ऐसा नामांकन विमानन प्राधिकरणों के बीच लिखित अधिसूचना का विषय होगा।
2. ऐसे नामांकन की सूचना प्राप्त होने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष का विमानन प्राधिकरण, इस अनुच्छेद के पैरा (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन, बिना विलंब नामित एयरलाइन को उपयुक्त परिचालन प्राधिकरण प्रदान करेगा।
3. किसी संविदाकारी पक्ष का विमानन प्राधिकरण दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा कर सकता है कि वह अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन पर सामान्यतः लागू कानूनों और विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए सक्षम है।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को पैरा (2) में उल्लिखित परिचालन प्राधिकरण देने से इनकार करने या नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, जहाँ वह संविदाकारी पक्ष इस बात से संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस संविदाकारी पक्ष में निहित है जिसने एयरलाइन को नामित किया है या उसके नागरिकों में निहित है। इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" का अर्थ यह है कि जहाँ नामित एयरलाइन इस समझौते के अधीन किसी अन्य देश की एयरलाइन अथवा किसी अन्य देश की सरकार या नागरिकों के साथ कोई समझौता करके अपनी सेवाएँ परिचालित करती है, वहाँ नामित करने वाला संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिक तब तक नामित एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण रखने वाले नहीं माने जाएंगे, जब तक कि संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिक, नामित एयरलाइन की प्रमुख परिसंपत्तियों के स्वामित्व के अतिरिक्त,

   (i) नामित एयरलाइन के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण; और

   (ii) सेवाओं के संचालन में प्रयुक्त विमानों के बेड़े और उपकरणों के प्रमुख भाग का स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण भी न रखते हों।

5. इस प्रकार नामित और अधिकृत एयरलाइन किसी भी समय सहमत सेवाएँ परिचालित करना शुरू कर सकती है, बशर्ते कि इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 10 और 12 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो।

अनुच्छेद 4
परिचालन प्राधिकरण का निरसन या निलंबन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने लिए यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा पहले पक्ष के कानूनों और विनियमों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में परिचालन प्राधिकरण को निरस्त या निलंबित कर सके अथवा ऐसी उपयुक्त शर्तें लगा सके जिन्हें वह आवश्यक समझे; अथवा जहाँ, पहले पक्ष की राय में, इस समझौते के अनुसार अधिकार प्रदान किए जाने की शर्तों का अनुपालन न किया गया हो। यह भी तब लागू होगा जब अनुच्छेद 3 के पैरा (4) के प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो। ऐसी कार्रवाई इस समझौते के अनुच्छेद 15 के अनुसार संविदाकारी पक्षों के बीच परामर्श के बाद ही की जाएगी, सिवाय उस स्थिति के जब कानूनों, विनियमों या इस समझौते के प्रावधानों के आगे उल्लंघन को रोकने के लिए परिचालन का तत्काल निलंबन या शर्तों का लगाया जाना आवश्यक हो।

अनुच्छेद 5
प्रभार

भारत के क्षेत्र और क्रमशः रोमानिया के क्षेत्र में हवाईअड्डों, संस्थापनों और तकनीकी उपकरणों के उपयोग के लिए देय कर और अन्य राशियाँ उन राज्यों में लागू कानूनों और अन्य विनियमों द्वारा निर्धारित शुल्कों के आधिकारिक स्तर के अनुसार वसूल की जाएंगी, जो समान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएँ प्रचालित करने वाली सभी विदेशी एयरलाइनों के विमानों पर लागू होते हैं।

अनुच्छेद 6
सीमा-शुल्क प्रभार और प्रक्रियाएँ

1. नामित एयरलाइन के विमान, उनका सामान्य उपकरण, ईंधन और स्नेहक की आपूर्ति, विमान की भंडार सामग्री, जिसमें भोजन, पेय, तंबाकू और उड़ान के दौरान यात्रियों को सीमित मात्रा में बिक्री के लिए नियत अन्य उत्पाद शामिल हैं, दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में प्रवेश के समय किसी भी सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क अथवा किसी अन्य शुल्क और कर से मुक्त होंगे, बशर्ते कि ये उपकरण, आपूर्तियाँ और भंडार सामग्री पुनः निर्यात किए जाने तक विमान में ही रहें।

2. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित भी शुल्क और करों से मुक्त होंगे:

(क) दूसरे राज्य के क्षेत्र में उसकी प्राधिकृतियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विमान में चढ़ाई गई और अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर परिचालित नामित एयरलाइन के विमान में उपयोग के लिए नियत विमान-भंडार सामग्री;

(ख) नामित एयरलाइन के विमान में ईंधन भरने के लिए नियत ईंधन और स्नेहक, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में प्रयुक्त होते हैं और दूसरे राज्य के क्षेत्र में विमान में भरे जाते हैं, भले ही ऐसे ईंधन और स्नेहक का उपयोग उस उड़ान के उस भाग में किया जाए जो उसी क्षेत्र के ऊपर से परिचालित हो जहाँ उन्हें विमान में भरा गया था;

(ग) अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर प्रयुक्त नामित एयरलाइन के विमानों के रख-रखाव या मरम्मत के लिए दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में लाए गए स्पेयर पार्ट्स और सामान्य वायुयान उपकरण।

3. प्रत्येक नामित एयरलाइन के विमान द्वारा ले जाए जा रहे सीधे पारगमन में माल और सामान सीमा-शुल्क तथा अन्य समान करों से मुक्त होंगे।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के विमान में मौजूद सामान्य वायुयान उपकरण तथा वस्तुएँ या भंडार सामग्री दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में केवल उस राज्य के सीमा-शुल्क प्राधिकरण की स्वीकृति से उतारी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे उपकरण, वस्तुएँ या भंडार सामग्री पुनः निर्यात किए जाने तक अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उन्हें कोई अन्य गंतव्य दिए जाने तक उक्त प्राधिकरणों की निगरानी में रखी जा सकती हैं।

अनुच्छेद 7
प्रतिनिधित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को दूसरे राज्य के क्षेत्र में उस राज्य के कानूनों और विनियमों के अधीन, अपने या स्थानीय तकनीकी और वाणिज्यिक कार्मिकों सहित, विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन के लिए एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के सक्षम निकाय दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के प्रतिनिधि कार्यालय के सुचारु प्रचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, ताकि सहमत सेवाएँ परिचालित की जा सकें।
3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को दूसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेज जारी करने तथा विज्ञापन और बिक्री को बढ़ावा देने का समान अवसर होगा। ऐसी बिक्री किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के बदले, सीधे अपने स्वयं के बिक्री कार्यालयों के माध्यम से या बिक्री और/या यात्रा एजेंसियों के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति, संगठन या निकाय को की जा सकती है।

अनुच्छेद 8
निष्पक्ष और समान अवसर

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों को अपने-अपने क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएँ प्रचालित करने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर प्राप्त होगा।
2. सहमत सेवाओं के प्रचालन में, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के हितों को ध्यान में रखेगी, ताकि बाद वाली द्वारा उसी मार्ग पर प्रदान की जा रही सेवाएँ अनुचित रूप से प्रभावित न हों।

अनुच्छेद 9
क्षमता

1. सहमत सेवाओं के प्रारंभ होने से पहले, उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर नामित एयरलाइनों के बीच सहमति होगी और दोनों संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरणों द्वारा अनुच्छेद 7 और 8 में निर्धारित सिद्धांतों तथा इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन दिया जाएगा।

2. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और/या परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई वृद्धि मुख्यतः दोनों राज्यों के क्षेत्रों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होगी और दोनों विमानन प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन होगी। ऐसे अनुमोदन या समाधान तक, पहले से लागू सेवाओं की क्षमता और आवृत्ति जारी रहेगी।

अनुच्छेद 10
परिचालन संबंधी सूचना का प्रावधान

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का विमानन प्राधिकरण अपनी नामित एयरलाइन को निर्देश देगा कि वह सहमत सेवाओं के उद्घाटन से यथासंभव पर्याप्त समय पहले दूसरे संविदाकारी पक्ष के विमानन प्राधिकरण को सेवा का प्रकार, प्रयुक्त किए जाने वाले विमान का प्रकार, उड़ान कार्यक्रम, लागू किए जाने वाले टैरिफ और सहमत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराए, जिसमें ऐसी जानकारी भी शामिल होगी जो विमानन वैमानिकी अधिकरण संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकती है कि इस समझौते

की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। इस अनुच्छेद की आवश्यकताएँ सहमत सेवाओं से संबंधित किसी भी परिवर्तन पर भी समान रूप से लागू होंगी।

अनुच्छेद 11
सांख्यिकी का प्रावधान

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का वैमानिकी अधिकरण अपनी नामित एयरलाइन को निर्देश देगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी अधिकरण को प्रत्येक माह सहमत सेवाओं पर दूसरे राज्य के क्षेत्र से और उसके लिए किए गए यातायात से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराए, जिनमें ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के बिंदु दर्शाए जाएँ। ये आँकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाएँगे।

अनुच्छेद 12
टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए, "टैरिफ" से अभिप्रेत यात्रियों और माल के परिवहन के लिए देय कीमतें तथा वे शर्तें हैं जिनके अधीन ये कीमतें लागू होती हैं, जिनमें एजेंसी और अन्य सहायक सेवाओं के लिए कीमतें और शर्तें शामिल हैं, लेकिन डाक के परिवहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं।
2. किसी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र तक या वहाँ से परिवहन के लिए वसूल किए जाने वाले टैरिफ उचित स्तर पर निर्धारित किए जाएँगे, और प्रचालन लागत, उचित लाभ तथा अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों का उचित ध्यान रखा जाएगा।
3. इस अनुच्छेद के पैरा (2) में उल्लिखित टैरिफ, यदि संभव हो, दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों के बीच सहमत किए जाएँगे और जहाँ तक संभव हो, ऐसी सहमति अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का उपयोग करके की जाएगी।
4. इस प्रकार सहमत टैरिफ दोनों संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरणों के अनुमोदन के लिए उनके प्रस्तावित लागू होने की तारीख से कम से कम साठ (60) दिन पहले प्रस्तुत किए जाएँगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकरणों की सहमति से यह अवधि कम की जा सकती है।
5. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। यदि किसी वैमानिकी अधिकरण ने पैरा (4) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर अस्वीकृति व्यक्त नहीं की है, तो वे टैरिफ अनुमोदित माने जाएँगे। यदि पैरा (4) के अनुसार प्रस्तुत करने की अवधि कम की गई है, तो विमानन प्राधिकरण इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि जिस अवधि में किसी अस्वीकृति की सूचना दी जानी है, वह तीस (30) दिनों से कम हो।
6. यदि पैरा (3) के अनुसार किसी टैरिफ पर सहमति नहीं हो सकती, या पैरा (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान किसी संविदाकारी पक्ष का वैमानिकी अधिकरण दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी अधिकरण को पैरा (3) के प्रावधानों के अनुसार सहमत किसी टैरिफ की अस्वीकृति की सूचना देता है, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण पारस्परिक सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।
7. यदि वैमानिकी अधिकरण पैरा (4) के अधीन उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर या पैरा (6) के अधीन किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते, तो विवाद इस समझौते के अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कोई नया टैरिफ निर्धारित नहीं हो जाता। तथापि, इस पैरा के आधार पर किसी टैरिफ की वैधता उसकी अन्यथा समाप्ति की तारीख के बाद बारह (12) महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी।

अनुच्छेद 13
आय का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को पहले राज्य के क्षेत्र में अर्जित आय में से व्यय से अधिक राशि को अपने मुख्यालय में भेजने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, ऐसे अंतरण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में तथा उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन और उनके अनुसार किए जाएँगे, जिसके क्षेत्र में आय अर्जित हुई है।
2. ऐसे अंतरण मुद्रा भुगतान के लिए आधिकारिक विनिमय दर के आधार पर किए जाएँगे, अथवा जहाँ कोई आधिकारिक विनिमय दर नहीं है, वहाँ मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी मुद्रा बाजार दरों पर किए जाएँगे।
3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटान को विनियमित करने वाली कोई विशेष व्यवस्था लागू है, तो ऐसी व्यवस्था के प्रावधान इस अनुच्छेद के पैरा (1) के अध्यधीन निधियों के अंतरण पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 14
विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः पुष्टि करते हैं कि नागर विमानन की सुरक्षा को गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों से बचाने का उनका एक-दूसरे के प्रति दायित्व इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष विशेष रूप से दिनांक 14 सितंबर 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, दिनांक 16 दिसंबर 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमानों के गैरकानूनी अपहरण के दमन के लिए अभिसमय और दिनांक 23 सितंबर 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागरिक विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के लिए अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।
2. संविदाकारी पक्ष, अनुरोध किए जाने पर, नागरिक विमानों के गैरकानूनी अपहरण तथा ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक-दल, हवाईअड्डों और वायु-नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्यों, तथा नागरिक विमानन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे को रोकने के लिए एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
3. पक्षकार अपने पारस्परिक संबंधों में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुलग्नकों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहाँ तक ऐसे सुरक्षा प्रावधान पक्षकारों पर लागू हों। वे अपने रजिस्टर के विमानों के प्रचालकों, अथवा ऐसे विमानों के प्रचालकों जिनका मुख्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान या स्थायी निवास उनके क्षेत्र में है, तथा

अपने क्षेत्र में हवाईअड्डों के ऑपरेटरों से ऐसे विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करेंगे।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सहमत है कि ऐसे विमानों के प्रचालकों से दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित पैरा (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है, जो दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रवेश, उससे प्रस्थान या वहाँ रहते समय लागू हों। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अपने राज्य के राज्यक्षेत्र में विमानों की सुरक्षा तथा यात्रियों, चालक-दल, हाथ में ले जाए जाने वाले सामान, सामान, माल और विमान-भंडार सामग्री की सवार होने या लदान से पहले और उसके दौरान जाँच करने के लिए पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएँ। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए उचित विशेष सुरक्षा उपायों के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।
5. जब नागरिक विमान के गैरकानूनी अपहरण या ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक-दल, हवाई अड्डों या वायु-नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्यों की कोई घटना या ऐसी घटना का खतरा उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्ष संचार को सुगम बनाकर और ऐसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे जिसका उद्देश्य ऐसी घटना या उसके खतरे को शीघ्र और सुरक्षित रूप से समाप्त करना हो।
6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष व्यावहारिक रूप से संभव समझे जाने वाले ऐसे उपाय करेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो कि गैरकानूनी अपहरण या अन्य गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्य का शिकार हुआ और उसके क्षेत्र में उतरा कोई विमान जमीन पर रोका जाए, सिवाय इसके कि मानव जीवन की रक्षा के सर्वोपरि कर्तव्य के कारण उसका प्रस्थान आवश्यक हो। जहाँ व्यावहारिक रूप से संभव हो, ऐसे उपाय पारस्परिक परामर्श के आधार पर किए जाएँगे।

अनुच्छेद 15
परामर्श

घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण इस समझौते के अनुप्रयोग और व्याख्या पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद 16
संशोधन

1. यदि कोई संविदाकारी पक्ष इस समझौते के किसी प्रावधान में संशोधन करना वांछनीय समझता है, तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श, जो वैमानिकी अधिकरण के बीच हो सकता है और चर्चा या पत्राचार के माध्यम से किया जा सकता है, अनुरोध की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होगा। इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद लागू होगा।
2. संलग्न मार्ग-सारणी में विनिर्दिष्ट मार्गों में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम विमानन प्राधिकरणों के बीच सीधे समझौते द्वारा किया जा सकता है और इसकी पुष्टि पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद 17
विवादों का निपटारा

यदि इस समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण आपस में वार्ता के माध्यम से उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे; और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो विवाद निपटारे के लिए संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद 18
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. जहाँ तक वे इस समझौते के अधीन स्थापित हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं, अभिसमय के प्रावधान इस समझौते की अवधि के लिए संविदाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान रूप में लागू रहेंगे, मानो वे इस समझौते का अभिन्न अंग हों; जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी ऐसे संशोधन की पुष्टि न कर दें जो विधिवत लागू हो चुका हो, ऐसी स्थिति में संशोधित अभिसमय इस समझौते की अवधि के लिए लागू रहेगा।
2. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय लागू हो जाता है, तो ऐसे अभिसमय के प्रावधान प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 19
अनुलग्नक

इस समझौते से संलग्न अनुलग्नक को समझौते का भाग माना जाएगा और समझौते के सभी संदर्भों में अनुलग्नक का संदर्भ भी शामिल होगा, सिवाय जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

अनुच्छेद 20
प्रवेश का प्रभावी होना

वर्तमान समझौता अपने हस्ताक्षर की तारीख से अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा और तब प्रभावी होगा जब संविदाकारी पक्ष अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी होने से संबंधित अपने कानून द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं के अनुपालन की एक-दूसरे को पारस्परिक रूप से अधिसूचना कर देंगे।

अनुच्छेद 21
समाप्ति

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते को समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी साथ-साथ भेजी जाएगी। यदि ऐसी सूचना दी जाती है, तो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख से बारह महीने बाद यह समझौता समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की सूचना को पारस्परिक सहमति से वापस न ले लिया जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख से चौदह दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

इस बात के साक्ष्यस्वरूप, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

यह समझौता नई दिल्ली में दिनांक 4 दिसंबर 1993 को दो मूल प्रतियों में किया गया, प्रत्येक प्रति हिंदी, रोमानियाई और अंग्रेजी भाषाओं में, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी अंतर की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत सरकार

कृते रोमानिया सरकार

अनुलग्नक

मार्ग-सारणी

I

वे मार्ग जिन पर रोमानिया सरकार द्वारा नामित एयरलाइन नियमित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएँ परिचालित करेगी:

रोमानिया में बिंदु	कोई भी बिंदु/बिंदु
मध्यवर्ती बिंदु	सहमति से निर्धारित किए जाएँगे
भारत में बिंदु	कलकत्ता
आगे के बिंदु	सहमति से निर्धारित किए जाएँगे
और उससे आगे	सहमति से निर्धारित किए जाएँगे, दोनों दिशाओं में

II

वे मार्ग जिन पर भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन नियमित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएँ संचालित करेगी:

भारत में बिंदु	कोई भी बिंदु/बिंदु
मध्यवर्ती बिंदु	सहमति से निर्धारित किए जाएँगे
रोमानिया में बिंदु	बुखारेस्ट
आगे के बिंदु	सहमति से निर्धारित किए जाएँगे
और उससे आगे	सहमति से निर्धारित किए जाएँगे, दोनों दिशाओं में

III

1. विनिर्दिष्ट मार्गों पर किसी एक या अनेक बिंदुओं को सभी उड़ानों में अथवा कुछ उड़ानों में सेवा न दी जा सकती है—यह नामित एयरलाइन के हित पर निर्भर होगा।
2. संविदाकारी पक्षों के विमानन प्राधिकरण तीसरे राज्यों में स्थित अन्य बिंदुओं पर सहमत हो सकते हैं, जहाँ प्रत्येक नामित एयरलाइन यात्रियों, माल और डाक को क्रमशः रोमानिया के राज्यक्षेत्र या भारत के राज्यक्षेत्र में गंतव्य या मूल स्थान के साथ चढ़ाने या उतारने में सक्षम होगी।